न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली (राज०) पीठासीन अधिकारी - देवेन्द्र कुमार, आर.जे.एस नियमित आपराधिक /सी.आई.एस संख्या - 2476/2017 एफआईआर संख्या- 385/2017, पुलिस थाना कोतवाली करौली अपराध 379, 411, 420,465,468,476,120 बी भादंसं **भाग प्रथम (A)**	
परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	**01 भूरसिंह पुत्र पप्पू निवासी छीपघटा अतेवा -मफरूर** 02 लाखन पुत्र बत्तीलाल, निवासी राजौर जिला करौली (राज.)
प्रतिनिधत्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल लाल, श्री राजेश सिंह
(B)	
अपराध की दिनांक	17.10.2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	17.10.2017
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	22.12.2017
आरोप विरचित करने की दिनांक	07.06.2022
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	30.08.2022
निर्णय आरक्षित करने की दिनांक	10-06-2026
निर्णय दिनांक	10-06-2026
दण्डादेश की दिनांक	-

भाग द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह की सूची

अभियोजन गवाहान

पी.ड.	नाम गवाह	गवाह बाबत
पी.ड. 1	नरेन्द्र	चश्मदीद
पी.ड. 2	हेसराज	चश्मदीद
पी.ड. 3	रामकुमार	नक्शा मौका
पी.ड. 4	मनोज	चश्मदीद
पी.ड. 5	विजय सिंह	फर्द गिरफतारी
पी.ड. 6	मेहराज	फोटोग्राफर
पी.ड. 7	निरंजन	फर्द गिरफतारी
पी.ड.8	मानसिंह	मालखाना प्रभारी
पी.ड 9	वसराम	पुलिस बयान

पी.ड 10	भंवर सिंह	परिवादी
पी.ड 11	देवेन्द्र	अनुसंधान अधिकारी

बचाव पक्ष गवाहान

--	--	--

न्यायालय गवाह

--	--	--

<u>अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श</u>

अभियोजन प्रदर्श

दस्तावेज	नाम दस्तावेजात
प्रदर्श पी 1	फर्द जप्ती मोटरसाईकिल
प्रदर्श पी 2	फर्द गिरफतारी भूरसिंह
प्रदर्श पी 3	नक्शा मौका
प्रदर्श पी 4	फर्द गिरफतारी लाखन
प्रदर्श पी 5 व 6	फोटोग्राफ
प्रदर्श पी 7	मालखाना रजिस्टर
प्रदर्श पी8	तहरीरी रिपोर्ट
प्रदर्श पी 9	चाक एफआईआर

बचाव प्रदर्श

-	-

न्यायालय प्रदर्श

--	--

<u>निर्णय</u> दिनांक : 10-06-2026

1. इस निर्णय के द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली करौली की ओर से जरिये अभियोजन अधिकारी प्रस्तुत एफआईआर संख्या 385/17 का निस्तारण किया जा रहा है। हस्तगत प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय करौली के आदेश क्रमांक 75 दिनांक 29-11-2025 की पालना में अंतरित होकर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली से वास्ते विचारण इस न्यायालय को प्राप्त हुयी।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं परिवादी भंवर सिंह ने इस आशय की लिखित रिपोर्ट पेश की कि पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार वाहन चोरी रोकने के लिए जाप्ता को स्पेशल टीम में नियुक्त कर रखा है। दिनांक 17.10.2017 को समय 8.30 AM पर थाना सदर करौली से नरेन्द्र कानि० 172, मनोज कानि० 369, हंसराज कानि० 417 मय सरकारी वाहन आर.जे. 34 एस.ए.

2746 मय चालक देशराज 804 के रवाना होकर गश्त व तलाश वाहन चोर करता हुआ कॉलेज, कलेक्ट्री सर्किल, पुरानी ट्रक यूनियन, आर.टी. ओ. कार्यालय, अम्बेडकर सर्किल, शिकारगंज करता हुआ समय करीब 12-15 पीएम पर तीन बड पहुंचा, तीन बड पर एक लडका अपाची टी वी एस कम्पनी की मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नम्बर आर जे 34 एस ए 6263 को लिए हुये बड़ा मिला जिससे उक्त टी वी एस अपाची के कागजात मांगे तथा गाडी का निरीक्षण किया तो गाडी का सेन्टर हैण्डल लॉक तथा पैट्रोल टंकी का लॉक टूटा हुआ मिला, चालक ने अपने पास कोई कागजात होना नहीं बताया तथा नाम पता पूछने पर अपना नाम भूर सिहं पुत्र पप्पू निवासी छीप घटा अतेवा थाना कैलादेवी का होना बताया तथा गाडी टी वी एस अपाची रजिस्ट्रेशन नम्बर आर जे 34 एस ए 6263 इंजन नम्बर 0E6KB2113874, चैसिस नम्बर M0634KE63B2K69166 को लाखन पुत्र बत्तीलाल निवासी राजौर थाना कैलादेवी से खरीदना बताया उक्त मोटर साईकिल पर मुल्जिम ने फर्जी नम्बर प्लेट रजिस्ट्रेशन नम्बर आर जे 34 एस ए 6263 की नम्बर प्लेट लगा रखी थी तथा मोटर साईकिल चोरी की होना प्रतीत होने पर मुल्जिम भूर सिंह द्वारा उक्त चोरी की मोटर साईकिल को अपने कब्जे में तथा फर्जी रजिस्ट्रेशन नम्बर की प्लेट लगाकर अपने कब्जे में रखना अपराध धारा 420,467,468,471,379,41 ता०हि० का घटित होने पर मोटर साईकिल को जप्त किया जाकर अभियुक्त को गिरफतार कर वापस थाना आया ....आदि

3. उक्त पर थाना कोतवाली करौली पर अभियोग संख्या 385/17 धारा 420,467,468,471,379,411 IPC में कायम कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण भूरसिंह व लाखन के विरूद्ध धारा 420,467,468,471,379, 411 IPC के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

4. आरोप पत्र में वर्णित धाराओं में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्तगण को धारा 379, 411, 420, 465, 468, 476, 120 बी भादंसं के आरोप पृथक से विरचित कर लिखित रूप से सुनाया गया। अभियुक्तगण द्वारा आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के पश्चात **प्रकरण में अभियुक्त भूरसिंह के मफरूर होने पर उसके विरूद्ध पृथक से कार्यवाही अमल में लायी गयी।** अभियुक्त लाखन के धारा 313 जा.फौ. में बयान मुल्जिम लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्ष्य को गलत होना व्यक्त करते हुये स्वयं का निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना प्रकट करते हुये साक्ष्य सफाई पेश करना जाहिर किया। अभियुक्त को अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद साक्ष्य सफाई पेश नहीं करने पर साक्ष्य सफाई बंद की गयी।

6. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि हस्तगत प्रकरण में अभियोजन की ओर से हस्तगत प्रकरण पूर्णतः प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जावें।

7. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष का तर्क रहा है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त लाखन से वाहन मोटरसाईकिल जप्त नहीं की गयी है। अभियुक्त लाखन को प्रकरण में केवल मात्र भूरसिंह के कथनानुसार संलिप्त किया गया है। भूरसिंह को वाहन मोटरसाईकिल अभियुक्त लाखन द्वारा बेचान किया गया हो इस बाबत पत्रावली पर कोई दस्तावेज नहीं हैं। साथ ही प्रकरण में अभियुक्त द्वारा कोई वाहन चोरी नहीं किया गया है तथा जिस वाहन पर फर्जी रूप से नंबर प्लेट लगाने का आरोप है उस वाहन के चेसिस नंबर व इंजन नंबर के आधार पर वाहन संख्या आरजे 25 एसई 8993 होना अभियोजन ने व्यक्त किया है। जब कि प्रकरण में मोटरसाईकिल आरजे 25 एसई 8993 का वाहन स्वामी बसराम अपनी मोटरसाईकिल चोरी होने के पश्चात सवाईमाधोपुर से मिलना जाहिर करता है जिससे कि यह तथ्य प्रमाणित होता है कि वाहन आरजे 25 एसई 8993 चोरी हुआ और चोरी के पश्चात वाहन स्वामी को वह वाहन मिल गया। यदि वाहन स्वामी को वाहन मिल ही गया तो हस्तगत प्रकरण में वाहन आरजे 25 एसई 8993 पर अंकित इंजन व चेसिस नंबर का वाहन पर फर्जी नंबर प्लेट लगाया जाना अभियुक्त द्वारा संभव नहीं है। अभियुक्त के विरूद्ध झूठा मनगढंत तथ्यों के आधार पर दर्ज हुआ है। परिणामतः अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

8. न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि

(1) **दिनांक 17.10.2017 को समय 12.15 पीएम या उसके लगभग मौजा तीन बड तिराहा करौली पर अन्य अभियुक्तगण के साथ आपराधिक षडयंत्र कर मोटरसाईकिल अपाची आरजे 34 एसए 6263 को बिना स्वामी की अनुमति व सम्मति के बेईमानीपूर्वक लेने के आशय से हटाकर चोरी की तथा यह जानते हुये कि यह चोरी की सम्पत्ति है बेईमानी पूर्वक प्राप्त कर अपने कब्जे में रखा**

(2) अभियुक्त लाखन द्वारा आपराधिक षडयंत्र करते हुये आरजे 34 एसए 6263 की फर्जी नंबर प्लेट कपटपूर्वक बेईमानी से लगाकर उक्त वाहन को अपने नाम सम्परिवर्तित कराने के आशय से छल के प्रयोजन से उपयोग में यह जानते हुये कि वाहन मोटरसाईकिल चोरी का है व वाहन पर नंबर प्लेट फर्जी व कूटरचित हैं तत्पश्चात भी अपने कब्जे में रखकर वाहन को उस नंबर प्लेट से अधिप्रमाणीकृत का आभास प्रदान करने के प्रयोजन से प्रयोग में लाया।

9. यदि हाँ तो दंड की मात्रा क्या होगी ?

10. उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करें तो अभियुक्त लाखन पर प्रकरण में भादसं की धारा 379, 411, 420, 465, 468, 476, 120 बी का आरोप है।

11. सर्वप्रथम धारा 379, 411 भादसं के संदर्भ में पत्रावली पर आयी संपूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण करें तो हस्तगत प्रकरण में लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 भंवर सिंह द्वारा अभिलिखित की गयी है जिसमें दौराने गश्त व तलाशी चोरी का वाहन करीब 12.15 बजे तीन बड पहुंचने पर एक लडका

अपाची टीवीएस मोटरसाईकिल आरजे 34 एसए 6263 को लेकर खडा होना व गाडी का सैंट्रल लॉक व पेट्रोल लॉक टूटा होना व अभियुक्त का नाम भूरसिंह होना तथा गाडी के इंजन नम्बर 0E6KB2113874, चैसिस नम्बर M0634KE63B2K69166 होना तथा भूरसिंह द्वारा उक्त मोटरसाईकिल को लाखन से खरीदा जाना अभिव्यक्त करते हुये वाहन आरजे 34 एसए 6263 की नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी होना जाहिर किया है।

12. इस प्रकार लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 के अंतर्गत अपाची मोटरसाईकिल आरजे 34 एसए 6263 जिसके इंजन नम्बर 0E6KB2113874, चैसिस नम्बर M0634KE63B2K69166 को अभियुक्त भूर सिंह के कब्जे से जप्त किया गया है और भूरसिंह के बताये अनुसार उक्त मोटरसाईकिल का लाखन से खरीद किये जाने के कारण प्रकरण में लाखन को संलिप्त माना है। हस्तगत प्रकरण में प्रदर्श पी 8 लिखित रिपोर्ट से सर्वप्रथम यह दर्शित है कि जो मोटरसाईकिल जप्त की गयी है वह भूरसिंह से जप्त की गयी है तथा प्रदर्श पी 8 एवं प्रदर्श पी 9 एफआईआर के अनुक्रम में फर्द जप्ती प्रदर्श पी 1 का अवलोकन करें तो प्रदर्श पी 1 फर्द जप्ती मोटरसाईकिल अपाची आरजे 34 एसए 6263 भूरसिंह से जप्त होना पूर्णतः प्रमाणित है। मौखिक साक्ष्य में भंवर सिंह पी.ड.1 के द्वारा भी अपनी लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 के तथ्यों की पुनरावृत्ति की है तथा प्रतिपरीक्षा में दौराने गश्त नाकाबंदी जाने की कोई भी रोजनामचा रपट रवानगी व वापसी का अंकन नहीं होना तथा मोटरसाईकिल चोरी की थी इस बाबत इंजन व चेसिस नंबर की एप से जानकारी होना तथा एप से जानवारी का हवाला एफआईआर में नहीं होना जाहिर किया है और गवाह सशपथ बयानों में इस तथ्य को स्वीकार करता है कि मुलजिम लाखन का नाम उसने मुलजिमान के कहे अनुसार ही लिखाया था। भंवर सिंह जिसके द्वारा लिखित रिपोर्ट पंजीबद्ध करवायी गयी है। प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल आरजे 34 एसए 6263 चोरी की मोटरसाईकिल एप पर जानकारी होने के आधार पर बताया है परन्तु उक्त तथ्य का उल्लेख प्रदर्श पी 8 पर नहीं है और गवाह द्वारा केवल मात्र भूरसिंह के कथनानुसार ही अभियुक्त लाखन का नाम एफआईआर प्रदर्श पी 8 में अभिलिखित किया है।

13. इसी प्रकार जाप्ता के अन्य गवाह पी.ड.1 नरेन्द्र द्वारा भी बदमाशान की तलाश व गश्त करते हुये तीन बजे के पास एक लडके का टीवीएस कंपनी की अपाची मोटरसाईकिल आरजे 34 एसए 6263 का खडा होना तथा उसकी टंकी व स्टेरिंग का लॉक टूटना तथा चालक का नाम भूरसिंह होना तथा भूरसिंह द्वारा मोटरसाईकिल को लाखन से खरीदा जाना अभिव्यक्त किया है। गवाह प्रतिपरीक्षा में भी मोटरसाईकिल का उनसे पहले वहां खडा होना व वक्त घटना लाखन से खरीदने संबंधी कोई कागजात बरामद नहीं होना व्यक्त करता है। इसी प्रकार पी.ड.2 हंसराज द्वारा भी मुख्य परीक्षा में भंवर सिंह के कथनों की पुनरावृत्ति की है तथा दौराने जिरह गवाह स्पष्ट रूप से वक्त घटना मौका से मुलजिम लाखन से मोटरसाईकिल को खरीदने बाबत कोई दस्तावेज नहीं मिलना जाहिर

करता है। पी.ड.4 मनोज द्वारा भी मुख्य परीक्षा में टीवीएस का वास्ते गश्त व तलाश बदमाशान 3 बजे मोटरसाईकिल आरजे 34 एसए 6263 मिलना व चालक का नाम भूरसिंह होना अभिव्यक्त करता है। प्रतिपरीक्षा में गवाह द्वारा किसी भी प्रकार की रोजनामचा आमद रफत की रपट नहीं होना प्रकट करता है। मुलजिम भूरसिंह के कहे अनुसार लाखन से गाडी खरीदा जाना जाहिर किया है।

14. इस प्रकार गश्त के समस्त गवाहान एक ही स्वर में तीन बजे के आसपास वाहन टीवीएस अपाची आरजे 34 एसए 6263 को एक लडका जिसका नाम भूरसिंह द्वारा लेकर खडा होना व सेंट्रल लॉक व टंकी का लॉक टूटा होने पर चालक का नाम पूछने पर अपना नाम भूरसिंह बतलाया जाना व उक्त भूरसिंह द्वारा लाखन नामक व्यक्ति से उक्त मोटरसाईकिल को खरीदा जाना जाहिर करते है।

15. धारा 379 भादंसं के संदर्भ में चोरी का अपराध गठित करने के लिये निम्न पॉच बातें आवश्यक है।

1 बेईमानी से सम्पत्ति प्राप्त करने का आशय

2 सम्पत्ति का जंगम होना आवश्यक है

3 यह किसी दूसरे के कब्जे से ली जानी चाहिये

4 उस व्यक्ति की सम्मति के बिना ली जानी चाहिये

5 ले जाने के प्रयोजन को पूरा करने के लिये सम्पत्ति का कुछ सीमा तक हटाया जाना आवश्यक होता है।

धारा 411 भादंसं के लिये चुरायी हुयी सम्पत्ति का जानते हुये या विश्वास का कारण रखते हुये चुरायी हुयी सम्पत्ति को बेईमानी से रखना आवश्यक है।

16. धारा 379 व 411 भादंसं के अपराध गठित करने वाले आवश्यक तत्वों के संदर्भ में हस्तगत प्रकरण में मोटरसाईकिल आरजे 34 एसई 6263 जप्त हुयी है, वह मोटरसाईकिल अभियुक्त लाखन के कब्जे से जप्त होना प्रकट नहीं होता है। प्रकरण में मोटरसाईकिल भूरसिंह के कब्जे से जप्त की गयी है, उक्त मोटरसाईकिल का भूरसिंह द्वारा लाखन से खरीदना सभी गवाहान द्वारा व्यक्त किया है। लाखन को प्रकरण में घटना के दूसरे दिन 18.10.2017 को जरिये फर्द प्रदर्श पी 4 गिरफतार किया गया है। प्रकरण में लिखित रिपोर्टकर्ता भंवर सिंह द्वारा अभियुक्त लाखन को भूरसिंह के कथन के आधार पर आरोपी माना है। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी एवं लिखित रिपोर्टकर्ता भंवर सिंह द्वारा भूरसिंह से लाखन द्वारा वाहन के बेचान बाबत दस्तावेज प्राप्त नहीं किये हैं और ना ही जिस व्यक्ति के समक्ष पैसों का लेन देन किया गया एवं बेचान किया गया उस व्यक्ति बाबत भी किसी गवाह के ना तो बयान लेखबद्ध किये हैं, ना ही अभियोजन की ओर से इस प्रकार के किसी साक्षी की साक्ष्य प्रस्तुत की है। प्रकरण में अभियुक्त लाखन को केवल मात्र भूरसिंह के मौखिक कथन के आधार पर संलिप्त किया गया है।

17. इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत शिवकुमार बनाम स्टेट आफ मध्यप्रदेश क्रिमीनल अपील संख्या 1503/2022 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल दूसरे आरोपी के खुलासा बयान पर भरोसा करके किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अभियोजन को यह साबित करना होगा कि आरोपी को पता था या विश्वास करने का कारण था कि सम्पत्ति चोरी की है। सहअभियुक्त का बयान केवल मात्र खंडनीय साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। वह स्वयं में पर्याप्त साक्ष्य नहीं है।

18. इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसरण में हस्तगत प्रकरण का भी अवलोकन करें तो प्रकरण में अभियुक्त भूरसिंह द्वारा अभियुक्त लाखन का नाम लिखित रिपोर्ट में लाखन से वाहन खरीदने के बाबत लेखबद्ध करवाया है। इस प्रकार अभियुक्त लाखन हस्तगत प्रकरण में सह अभियुक्त है और सहअभियुक्त के कथन को अभियोजन द्वारा अन्य किसी अखंडनीय साक्ष्य के माध्यम से किसी भी प्रकार के बेचान पत्र अथवा जिस व्यक्ति के समक्ष वाहन बेचान किया गया द्वारा साबित नहीं की है। इस स्थिति में अभियुक्त भूरसिंह का खुलासा बयान '' कि उसके द्वारा वाहन आरजे 34 एसई 6263 को अभियुक्त लाखन से खरीदा गया पूर्ण रूप से खंडनीय रहा है और केवल मात्र अभियुक्त भूरसिंह के खुलासा बयान जिसका उल्लेख लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 में भंवर सिंह द्वारा एवं न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में किया गया है कोई मूल्यवान कथन नहीं माना जा सकता है और इस आधार पर अभियुक्त लाखन के द्वारा वाहन आरजे 34 एसई 6263 को वाहन स्वामी की सहमति के बिना बेईमानी पूर्वक सम्पत्ति रखने के आशय से हटाकर चोरी करना एवं चुरायी हुयी मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में रखकर भूरसिंह को बेचान किया जाना प्रमाणित नहीं होता है।

19. यहां यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि प्रकरण में जिस वाहन मोटरसाइकिल आरजे 34 एसए 6263 की चोरी का एवं उस वाहन को रखने का आरोप है उक्त वाहन की फर्द जप्ती प्रदर्श पी 1 में इंजन नंबर 0ई 6 केबी2113874 व चेसिस नंबर एमडी634 केई 63 बी2 के69177 अंकित हैं और उक्त् इंजन व चेसिस नंबर का प्रदर्श पी 5 फर्द जप्ती नंबर प्लेट से वाहन संख्या आरजे 25 एसई 8993 का होना प्रकट होता है। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन द्वारा वाहन आरजे 25 एसई 8993 के वाहन स्वामी बसराम को पी.ड.9 के रूप में परीक्षित करवाया है। बसराम अपनी मोटरसाईकिल आरजे 25 एसई 8993 का 7-8 साल पहले अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी होना व सवाईमाधौपुर में एफआईआर दर्ज करवाया जाना अभिव्यक्त् करते हुये दौराने जिरह अपनी चोरी मोटरसाईकिल का सवाईमाधौपुर थाने से मिलना प्रकट करता है। इस स्थिति में यह तथ्य प्रकट होता है कि बसराम जिसकी मोटरसाईकल आरजे 25 एसई 8993 इंजन नंबर 0ई 6 केबी2113874 व चेसिस नंबर एमडी634 केई 63 बी2 के69177 चोरी के पश्चात सवाईमाधौपुर थाने से उसे प्राप्त हो गयी थी। यदि वाहन बसराम को चोरी के पश्चात प्राप्त हो गया तो पुनः उस वाहन का चोरी होना बसराम की साक्ष्य से प्रकट

नहीं होता है, ना ही उन्हें चोरी होने बाबत कोई रिपोर्ट पत्रावली पर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की है। इस स्थिति में इंजन नंबर 0ई 6 केबी2113874 व चेसिस नंबर एमडी634 केई 63 बी2 के69177 के चोरी होने का तथ्य पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं होता। इस प्रकार अभियोजन अभियुक्त लाखन पर धारा 379, 411 भादसं का आरोप संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

20. जहां तक प्रकरण में धारा 420, 465, 468, 476, 120 बी भादसं का आरोप है तो सर्वप्रथम अभियोजन को यह तथ्य प्रमाणित करना आवश्यक है कि वाहन टीवीएस अपाची आरजे 34 एसए 6263 जिसके इंजन नम्बर 0E6KB2113874, चैसिस नम्बर M0634KE63B2K69166 के असल नंबरों के वाहन पर फर्जी नंबर प्लेट आरजे 34 एसई 6263 लगायी जाकर कपट करने के आशय से छल के प्रयोजन से उपयोग में किया गया।

21. हस्तगत प्रकरण में लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 के अंतर्गत फर्जी नंबर प्लेट लगाकर मोटरसाईकिल को भूरसिंह द्वारा कब्जे में रखना उल्लेखित किया है। प्रदर्श पी 8 दिनांक 17.10.2017 को थाना कोतवाली करौली पर प्रस्तुत की है। मोटरसाईकिल दिनांक 17.10.2017 को जप्त की गयी है। उक्त मोटरसाईकिल पर आरजे 34 एसए 6263 की फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी थी, इस बाबत परिवादी भंवर सिंह को किस प्रकार जानकारी हुयी इस तथ्य का कोई भी वर्णन प्रदर्श पी 8 में नहीं किया गया है जब कि दौराने साक्ष्य भंवर सिंह एप के माध्यम से फर्जी नंबर प्लेट होना प्रकट करता है। एप के माध्यम से फर्जी नंबर प्लेट का जो तथ्य सशपथ बयानों में व्यक्त किया गया है उस एप के अंतर्गत फर्जी नंबर प्लेट बाबत कोई पत्र पत्रावली पर संलग्न नहीं है जो वाहन आरजे 34 एसए 6263 जिसके इंजन नम्बर 0E6KB2113874, चैसिस नम्बर M0634KE63B2K69166 जप्त की गयी है तथा दौराने अनुसंधान नंबर प्लेट आरजे 34 एसई 6263 प्रदर्श पी 5 के अंतर्गत जप्त किया गया और प्रदर्श पी 5 में जप्त मोटरसाईकिल आरजे 34 एसए 6263 जिसके इंजन नम्बर 0E6KB2113874, चैसिस नम्बर M0634KE63B2K69166 का वाहन स्वामी बसराम पुत्र कन्हैया निवासी शांति नगर सवाईमाधौपुर का होना व असल रजिस्ट्रेशन आरजे 25 एसई 8993 होना व्यक्त किया है। बसराम के द्वारा अपने वाहन का 8-10 साल पहले चोरी होना जाहिर करते हुये वाहन का सवाईमाधौपुर से प्राप्त होना प्रकट करता है साथ ही प्रकरण में आरजे 25 एसई 8993 की कोई मूल आरसी जप्त नहीं की गयी है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि जप्त किये गये आरजे 34 एसए 6263 जिसके इंजन नम्बर 0E6KB2113874, चैसिस नम्बर M0634KE63B2K69166 वाहन आरजे 25 एसई 8993 के थे। ना ही अनुसंधान अधिकारी द्वारा इस बाबत कोई अनुसंधान किया जाना पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा सवाईमाधौपुर जाकर इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त की गयी हो इस प्रकार का कोई भी दस्तावेज नहीं है। हालांकि प्रकरण में विवादित वाहन के फोटोग्राफ पेश किये हैं परन्तु उक्त वाहन के इंजन व चेसिस नंबर के कोई फोटोग्राफ नहीं लिये गये हैं। इस स्थिति में पत्रावली

पर आयी संपूर्ण साक्ष्य से अभियुक्त लाखन द्वारा फर्जी नंबर प्लेट का उपयोग किया जाकर वाहन को प्रयोग में लिया गया हो, यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता।

22. इस स्थिति में अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 17.10.2017 को समय 12.15 पीएम या उसके लगभग मौजा तीन बड तिराहा करौली पर अन्य अभियुक्तगण के साथ आपराधिक षडयंत्र कर मोटरसाईकिल अपाची आरजे 34 एसए 6263 को बिना स्वामी की अनुमति व सम्मति के बेईमानीपूर्वक लेने के आशय से हटाकर चोरी की तथा यह जानते हुये कि यह चोरी की सम्पत्ति है बेईमानी पूर्वक प्राप्त कर अपने कब्जे में रखा तथा आपराधिक षडयंत्र करते हुये आरजे 34 एसए 6263 की फर्जी नंबर प्लेट कपटपूर्वक बेईमानी से लगाकर उक्त वाहन को अपने नाम सम्पर्रिवर्तित कराने के आशय से छल के प्रयोजन से उपयोग में यह जानते हुये कि वाहन मोटरसाईकिल चोरी का है व वाहन पर नंबर प्लेट फर्जी व कूटरचित हैं तत्पश्चात भी अपने कब्जे में रखकर वाहन को उस नंबर प्लेट से अधिप्रमाणीकृत का आभास प्रदान करने के प्रयोजन से प्रयोग में लाया। फलतः अभियुक्त लाखन को आरोपित आरोप अंतर्गत अपराध 379, 411, 420,465,468,476,120 बी भादंसं में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है

<u>आदेश</u>

23. अतः **अभियुक्त लाखन पुत्र बत्तीलाल, निवासी राजौर जिला करौली (राज.)** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 379,411,420,465,468,476,120 बी भादंसं में संदेह का लाभ प्रदान किया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में नियमित उपस्थित बाबत प्रस्तुत प्रतिभू व बंध पत्र निरस्त किये जाते है।

24. **<u>प्रकरण में अभियुक्त भूरसिंह पुत्र पप्पू निवासी छीपघटा अतेवा मफरूर हैं। अतः पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट नहीं किया जावे तथा इस बात पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर स्पष्ट दर्शित लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे।</u>**

(देवेन्द्र कुमार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली (राज0)

25. निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 10.06.2026 को मेरे द्वारा विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवेन्द्र कुमार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली (राज0)

1. इस संदर्भ में प्रकरण में भंवर सिंह पी.ड.10 के तौर पर परीक्षित हुआ है जो अपनी मुख्य परीक्षा में व्यक्त करता है कि दिनांक 17.10.2017 को एसपी साहब के आदेश से वाहन चोरी रोकने के लिए स्पेशल टीम में नियुक्त था। इसी आदेश के क्रम में उस दिन मय जाप्ता गश्त एवं तलाश वाहन चोर करता हुआ तीन बड करौली पहुंचा। तीन बड पर एक लडका अपाची टीवीएस कंपनी की मोटरसाईकिल आरजे 34 एसए 6263 को लिये हुये खडा मिला। उससे गाडी के कागजात मांगे तो अपने पास कोई कागजात नहीं होना बताया। गाडी का निरीक्षण करने पर गाडी का सेन्टर हेन्डल लॉक व पेट्रोल टंकी का लॉक टूटा हुआ था। उस लडके के नाम-पते पूछे तो उसने अपना नाम भूरसिंह पुत्र पप्पू निवासी छीपघटा करौली होना बताया तथा उक्त गाडी को लाखन पुत्र बत्तीलाल निवासी राजोर से खरीदना बताया। मोटरसाईकिल पर मुलजिम ने फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी थी तथा मोटरसाईकिल चोरी की प्रतीत होती थी। मुलजिम को उसके जुर्म से अवगत कराकर उसके कब्जे से मिली मोटरसाईकिल को जरिये फर्द जप्त किया एवं भूरसिंह को गिरफतार किया। फर्द जप्ती प्रदर्श पी 01, फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 02 है, तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 08, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 09 है, नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 है।

2. प्रतिपरीक्षा में गवाह व्यक्त करता है कि हम सदर थाने से रोजनामचा में रवानगी डालकर गये थे। यह सही है कि एफआईआर में रपट रवागनी व वापसी नंबर अंकित नहीं हैं। यह सही है कि तहरीर रिपोर्ट में तारीख में करेक्शन किया जाना सही हैं परन्तु नीचे की तरफ 17 तारीख अंकित की हुयी हैं। यह बात सही है कि प्रदर्श पी 08 में समय नहीं लिखा हुआ हैं। मोटरसाईकिल की जो नंबर प्लेट थी उस नंबर प्लेट के इंजन नंबर व चैचिस नंबर मेल नहीं खा रहे थे इसलिए मोटरसाईकिल चोरी की मानी थी। इंजन नंबर व चैचिस नंबर की ऐप से जानकारी की थी। यह सही है कि रिपोर्ट और बयानो में ऐप से जानकारी का हवाला नहीं है। ऐप से जो जानकारी की थी वह मोटरसाईकिल किसके नाम थी व उसके क्या नंबर थे मुझे जानकारी नहीं है। यह सही है कि लाखन का नाम उसने मुलजिम के कहे अनुसार लिखा हैं। उसे तो केवल ऐप में नंबर डालकर जांच करने पर मोटरसाईकिल के फर्जी दस्तावेज तैयार करने के संबंध में प्रकरण दर्ज करवाया था। उसने वक्त एफआईआर यह जानकारी नहीं की जप्तशुदा मोटरसाईकिल किसी अन्य प्रकरण में चुरायी गयी हो। यह सही है कि घटनास्थल बाजार व आबादी वाला ईलाका हैं। यह सही है कि फर्द जप्ती व फर्द गिरफतारी, नक्शा मौका पर किसी भी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है क्योंकि कोई स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ था। यह सही है कि जो गवाह फर्द जप्ती व गिरफतारी के है वहीं नक्शा मौका पर हैं।

3. इसी संदर्भ में गवाह नरेन्द्र पी.ड.1 व्यक्त करता है कि दिनांक 17.10.2017 को पुलिस अधीक्षक करौली के आदेश पर स्पेशल टीम करौली में कानि. के पद पर तैनात था। स्पेशल टीम इंचार्ज भवंरसिंह कर्दम एएसआई व साथ कानि हंसराज, मनोज कानि व चालक देशराज के साथ समय करीब साढे आठ बजे रवाना होकर वाहन चोर एवं तलाश बदमशान हेतु सरकारी गाडी आरजे 14 यूए

2746 से रवाना हुये थे। तलाश वाहन चोर करते हुये समय करीब सवा बारह बजे तीन बड पर पहुंचे, जहां पर एक लडका टीवीएस कंपनी की अपाची मोटरसाइकिल आरजे 34 6263 लेकर खडा था। जिससे टीम इंचार्ज भंवरसिंह से कागजात मांगे तो मोटरसाइकिल का निरीक्षण किया तो सेंटर लॉक व पेट्रोल टर्की लॉक टूटा हुआ था। चालक से कागजात मांगे तो किसी प्रकार के कोई कागजात नहीं होना बताया। चालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम भूरसिंह पुत्र पप्पू होना बताया एवं उक्त मोटरसाइकिल लाखन से खरीदना बताया। इस पर मोटरसाइकिल चालक ने मोटरसाइकिल पर फर्जी प्लेट नंबर लगा रखी है, जिस मोटरसाइकिल का फर्जी होना पाया गया।

4. प्रतिपरीक्षा में गवाह व्यक्त करता है कि स्पेशल टीम की पूर्व से रवानगी होती है, जो पुलिस लाईन से होती है। बोलेरो आरजे 34 यू 2746 से गये थे, बोलेरो गाडी में बीच में बैठा था, उसके साथ हसंराज व मनोज कानि बैठे हुये थे। पीछे गाडी बिलकुल खाली थी, कोई सामान नहीं था। हमारे पास कोई इथियार नहीं थे, सभी खाली हाथ थे। मोटरसाइकिल हम पहुंचे उससे पहले से वह पर खड़ी थी। तीन बड तिराहे पर हमेशा भीड रहती है, और तीनों चारों रोडों पर दोनों साइड दुकानें थी। मोटरसाइकिल को हमारी साथी दाने थाने पर लेकर आया था, और हम गाडी से थाने पर आ गये थे। किसी भी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं कराये क्योंकि लोगों ने गवाह बनने से मना कर दिया। दुकानदारों से गवाह बनने के लिए किस किस को कहा यह मुझे पता नहीं है। यह सही है कि वक्त घटना लाखन से खरीद के कोई कागजात बरामद नहीं किये।

5. अन्य गवाह हंसराज पी.ड.2 व्यक्त करता है कि दिनांक 17.10.2017 को पुलिस अधीक्षक करौली के आदेश पर स्पेशल टीम करौली मे कानि के पद पर तैनात था। स्पेशल टीम के इंचार्ज भवंरसिंह कर्दम एएसआई व साथ कानि नरेन्द्र, मनोज कानि व चालक देशराज़ के साथ समय करीब साढे आठ बजे रवाना होकर वाहन चोर एवं तलाश बदमशान हेतु हम सरकारी गाडी आरजे 14 यूए 2746 से रवाना हुये थे। तलाश वाहन चोर करते हुये समय करीब सवा बारह बजे तीन बड पर पहुंचे, यहां पर एक लडका टीवीएस कंपनी की अपाची मोटरसाइकिल आरजे 34 6263 लेकर खडा था। जिससे टीम इंचार्ज भंवरसिंह से कागजात मांगे तो मोटरसाइकिल का निरीक्षण किया तो सेंटर लॉक व पेट्रोल टंकी का लॉक टूटा हुआ था। चालक से कागजात मांगे तो किसी प्रकार के कोई कागजात नहीं होना बताया। चालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम भूरसिंह पुत्र पप्पू होना बताया एवं उक्त मोटरसाइकिल लाखन से खरीदना बताया। इस पर मोटरसाइकेल चालक ने मोटरसाइकिल पर फर्जी प्लेट नंबर लगा रखी है, जिस पर मोटरसाइकिल का फर्जी होना पाया गया।

6. जिरह में गवाह व्यक्त् करता है कि हम सदर थाने करौली से गश्त के लिए रवाना हुये थे, हम साजे आठ बजे रवाना हुये थे। सदर थाने कलेक्टरी सर्किल, अंबेडकर सर्किल, शिकांरगंज से तीन बड पर आ गये थे। तीन बड काफी व्यक्तियो की भीड थी और तीनों रोडों पर दोनो तरफ दुकाने थी। तीन बड तिराहे पर सब्जियों, मूंगफली वाले के ठेले लगे हुये थे। मोटरसाइकिल तीन बड पर खडी

थी और मुल्जिम मोटरसाइकिल के उपर बैठा खडी कर रखा था। सदर थाने पर गश्त पर आने की रपट डालकर आये थे। मुल्जिम का मुंह कैलादेवी की तरफ था। मुल्जिम को पकडकर कोतवाली थाने पर ले आये थे। मोटरसाइकिल को मनोज कानि. थाने पर लाया। मेरे सामने थानेदारजी ने स्वतंत्र गवाह बनने के लिए कहा था, लेकिन किस किस दुकानदार से कहा और किस ठेले वाले से कहा उनके नाम पता मुझे पता नहीं है। मेरे सामने तो किसी गवाह बनने के लिए मना नहीं किया था। मैने मोटरसाइकिल को हाथ लगाकर चैक नहीं किया, मैने मोटरसाइकिल के इंजन व चैसिस नंबर नहीं देखा था।

7. जाप्ता का अन्य गवाह मनोज पी.ड.4 परीक्षित हुआ है जो मुख्य परीक्षा में व्यक्त् करता है कि सन 2017 में पुलिस अधीक्षक द्वारा वाहन चोरी रोकने के लिए स्पेशल टीम में नियुक्त कर रखा था। दिनांक 17.10.2017 को थाना सदर करौली से भंवरसिंह कर्दम एएसआई, नरेंद्र कानि, हसंराज कानि के साथ गश्त एवं तलाश वाहन चोर करते हुये 12.15 पीएम पर तीन बड पहुंचे। जहां पर एक लडका अपाची टीवीएस कपंनी की मोटरसाइकिल आरजे 34 एसए 6263 को लिये हुये खडा मिला। जिससे भंवरसिंह कर्दम एएसआई साहब द्वारा कागजात मांगे, जिन पर उसके पास कोई कागजात नहीं मिले एवं गाडी का निरीक्षण किया, जिसके सेंट्रल लॉक टूटा हुआ था। चालक के पास कोई दस्तावेज नहीं थे, उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम भूरसिंह पुत्र पप्पू होना बताया।

8. जिरह में गवाह व्यक्त करता है कि मुझें वाहन चोरी रोकने के लिए एसपी साहब ने स्पेशल टीम मे नियुक्त किया, उसके आदेश इस पत्रावली मे नहीं है, एसएचओ साहब को मालूम होगा। हम थानें से गश्त पर जाते समय जिस वाहन को ले जाते हैं, जितने स्टाफ जाते है, हथियार साथ ले जाने आवश्यक वस्तु ले जाने का सारा इंद्राज रोजनामचा में डालकर जाते है। वह रपट रोजनामचे की आमद व रवानगी पत्रावली मे इंद्राज है या नहीं यह आईओ बतायेगा। हम शिकारंगज पर दिन के बारह बजे पहुंच गये थे। वहां पर पांच सात मिनट गश्त करने के लिए रूके थे, फिर वहां से हम तीन बड सवा बारह पहुंच गये थे। तीन बड पर हमने बीच तिराहे पर गाडी खडी की थी, जहां पर हमेशा सब्जी व मूंगफली फल वाले के ठेले खडे रहते है, और उस समय मे भी खड़े थे। रोड पर दोनों तरफ परचूनी की दुकाने हैं, तिराहे पर बड के पेड के नीचे में मोटरसाइकिल खडी करके उस पर बैठा था। जिसकी गाडी मुह व चालक का मुंह कैलादेवी की तरफ था, पीठ सिटी कस्बा करौली की तरफ थी। मोटरसाइकिल हमको वहीं पर खडी मिली थी, गाडी के मालिक होने बाबत पूछताछ करने पर वह आया उसने अपने पास कोई कागज होना नहीं बताया तथा लाखन मीना राजौर से उस गाडी खरीदना होना बताया। फिर उसको थाने पर गाडी सहित ले गये। पहले फर्द जब्ती बनाई थी, मुल्जिम से गाडी के कागजात पूछने में पन्द्रह बीस मिनट लग गये थे, बनाने मे पन्द्रह बीस मिनट लगी थी, उसके बाद फर्द गिरफ्तारी बनाई थी। फर्द जब्ती व गिरफतारी पर हस्ताक्षर मैंने मौके पर किये थे। हमने फर्द गिरफतारी व जब्ती बनाते समय स्वंगत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं कराये, क्योंकि कोई भी गवाह कानूनी कार्यवाही में पडने से इंकार

कर दिया। नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 पर भी उसी दिन हस्ताक्षर किये थे। यह कहना गलत हे कि मुल्जिम से उक्त गाडी हमने जब्त ना की हो।

9. गवाह रामकुमार पी.ड.3 नक्शा मौका बनाया जाना व्यक्त् करता है। गवाह विजय पी.ड.5 व निरंजन पी.ड.7 अभियुक्त लाखन को स्वयं के समक्ष गिरफतार किया जाना व्यक्त करते है। गवाह मेहराज पी.ड.6 आरजे 34 एसए 6263 के प्रदर्श पी 5 व 6 फोटो खींचा जाना व्यक्त करता है। देवेन्द्र पी.ड.11 बाबूलाल द्वारा प्रकरण का संपूर्ण अनुसंधान किया जाना व्यक्त करता है।

10. गवाह मानसिंह पी.ड.8 जप्तशुदा मोटरसाईकिल आरजे 34 एसए 6263 को स्वयं के समक्ष जमा मालखाना व दिनांक 20.11.17 को बाबूलाल एएसआई द्वारा सील्डशुदा पैकेट पेश करने पर जमा मालखाना किया जाना प्रकट करता है।

11. गवाह बसराम पी.ड.9 व्यक्त करता है कि करीब 7-8 साल पहले उसकी मोटर साइकिल न० आर जे 25 एसई 8993 जो उसके मकान के बाहर खडी थी। दिन में करीब 2:00 बजे उसको कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया। उसने मोटर साइकिल को तलाश किया। जिसकी कोतवाली सवाई माधोपुर में एफआईआर दर्ज करवाई थी। उसे करौली कोतवाली से फोन गया था कि तुम्हारी मोटर साइकिल करौली में है। उसकी मोटर साइकिल की नम्बर प्लेट पुलिस ने जब्त की थी जो फर्द जब्ती प्रदर्शपी 5 है। जिरह में गवाह व्यक्त् करता है कि उसने किस तारीख को मोटर साइकिल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई ध्यान नहीं है। फोन किस तारीख को करौली कोतवाली से गया, किसने किया पता नहीं। उसकी मोटर साइकिल आर जे 25 एसई 8993 उसकी चोरी की रिपोर्ट जो दर्ज कराई वो आज उसके सामने नहीं है। उसकी चोरी हुई मोटर साइकिल सवाई माधोपुर थाने से मिल गई। करीब एक-डेढ माह बाद मिल गई थी। मोटर साइकिल चोरी करके ते जाते हुए किसी को नहीं देखा न ही मोटर साइकिल उसके सामने बरामद हुई। जब्तशुदा नम्बर प्लेट मुझे थाने पर बुला कर पुलिस वालों ने दिखाई थी। उसके सामने कोई मुल्जिम बरामदगी के समय उपलब्ध नहीं था।

े